प्रेस विज्ञप्ति बिजनौर पुलिस दिनांकः– 09.11.2021

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर लुटेरे 02 अवैध तमंचे व 01 अपाचे मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ पर्यवेक्षण में दिनांक 08/09.11.2021 की रात्रि मे समय करीब 22.00 बजे थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा पथरी पुल रसूलपुर आबाद के पास चैंकिग के दौरान 01 संदिग्ध मोटर साईकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटर साईकिल सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नितय से फायर कर दिये पुलिस पार्टी द्वारा सूझ–बूझ के साथ अपना बचाव करते हुये घेराबंदी कर 02 शातिर किस्म के अपराधी 1. छोटे उर्फ फारूख पुत्र यामीन कुरैशी निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद हॉल निवासी मौ0 कुरैशीयान बडी मस्जिद के पास कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद .2. राजा उर्फ नवाब पुत्र फारूख कलेन्दर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना अफजलगढ जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभि0गण के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर तथा 01 तमन्चा 12 मय जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद तथा अपाचे मो0सा0 नम्बर UP15DC 9981 बरामद हुई। घटना के सम्बन्ध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 337/2021 धारा 307 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अ0गढ़ पर मु0अ0सं0 338/2021 व 339/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पूछताछ में अभि0गण द्वारा बताया कि उक्त दोनो सडक पर लूट करने के इरादे से खडे थे। इनके द्वारा दिनांक 04.11.2021 को दिन मे 04.30 बजे पंजाबी कालोनी जसपुर ऊधमसिहंनगर से एक महिला की सोने की चैन लूटी थी। अभियुक्त छोटू उर्फ फारूख शातिर किस्म का लुटेरा है जिस पर थाना विजयनगर गाजियाबाद मे लूट, हत्या के तीन मुकदमे तथा मुरादनगर गाजियाबाद मे चोरी का एक मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त छोटू उर्फ फारूख तथा नबाब उर्फ राजा आपस मे जीजा साले है । अभियुक्त छोटू जनपद गाजियाबाद का रहना वाला है जो इस समय छुपने के लिये अपनी ससुराल ग्राम रसूलपुर मे रह रहा था।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पताः–

1. छोटे उर्फ फारूख पुत्र यामीन कुरैशी निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद हॉल निवासी मौ0 कुरैशीयान बडी मस्जिद के पास कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद।
2. राजा उर्फ नवाब पुत्र फारूख कलेन्दर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना अफजलगढ जिला बिजनौर।

बरामदगी का विवरण

1– एक तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस , एक जिन्दा कारतूस

2– एक तमंचा 312 बोर व 02 जिन्दा कारतूस

3– एक अपाची मोटरसाईकिल न0 UP15DC 9981 रंग सफेद ।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त छोटे उर्फ फारूख उपरोक्तः—</u>

01.मु0अ0सं0 1047/2016 धारा 302/147/148/149 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद।

02.मु0अ0सं0 1169/2016 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद।

03.मु0अ0सं0 1154/2016 धारा 307/506/394 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद।

04.मु0अ0सं0 1050/2017 धारा 379/411 भादवि थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद।

05.मु0अ0सं0 337/2021 धारा 307 भादवि थाना अफजलगढ जिला बिजनौर।

06.मु0अ0सं0 338/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना अफजलगढ जिला बिजनौर ।

07.मु0अ0स0 245/2021 धारा 392 भादवि थाना जसपुर जिला ऊधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजा उर्फ नवाब उपरोक्तः—</u>

01.मु0अ0सं0 337/2021 धारा 307 भादवि थाना अफजलगढ जिला बिजनौर।

02.मु0अ0सं0 339/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना अफजलगढ जिला बिजनौर।

03.मु0अ0स0 245/2021 धारा 392 भादवि थाना जसपुर जिला ऊधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः—</u>

1.उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना अफजलगढ जिला बिजनौर

2. का0 616 सन्दीप कुमार थाना अफजलगढ जिला बिजनौर

3.का0 1975 नासिम थाना अफजलगढ जिला बिजनौर

प्रेस नोट (थाना नगीना देहात)

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वन विभाग की 1300 बीघा जमीन हडपने का प्रयास करने वाले 15–15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित 02 अभि0गण गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के आदेश के अनुक्रम व अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के निकट निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगीना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना नगीना देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम रक्षपाल आदि 05 नफर द्वारा वन विभाग की अत्यन्त कीमती जमीन/सम्पत्ति गाटा सं0 01 क्षेत्र 104.246 हे0 (1300 बीघा) ग्राम साबूवाला तहसील नगीना जिला बिजनौर स्थित जमीन को हडपने की नियत कूट रचना व छल कपट करते हुए फर्जी दस्तावेज गढकर असली के रूप में प्रयोग करते हुए मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से वास्तविक तथ्यो को छिपाते हुए अपने हक में आदेश पारित कराकर जमीन हडपने का संज्ञेय अपराध कारित किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण रक्षपाल आदि दिनांक 27.06.2021 से वांछित है तथा फरार चल रहे थे जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के सार्थक प्रयासो के क्रम मे आज दिनांक 09.11.2021 को थाना नगीना देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 15–15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभि0गण **1.रक्षपाल पुत्र हरनाम नि0 मौ0 गाँधीनगर रेलवे फाटक से आगे कस्बा व थाना मण्डी धनौरा जिला अमरोहा 2.उमरपाल पुत्र यादराम नि0 ग्राम रामपुरतगा थाना मण्डी धनौरा जिला अमरोहा** को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः–

1.रक्षपाल पुत्र हरनाम नि0 मौ0 गाँधीनगर रेलवे फाटक से आगे कस्बा व थाना मण्डी धनौरा जिला अमरोहा

2.उमरपाल पुत्र यादराम नि0 ग्राम रामपुरतगा थाना मण्डी धनौरा जिला अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–

1.थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार, 2.उ0नि0 श्री नीरज कुमार, 3.उ0नि0 श्री संजय त्यागी, 4.का0 1560 महीपाल सिंह, 5.का0 456 धर्मवीर सिंह, 6.का0 686 दीपक तोमर

इन अपराधों में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मोबाइल से
पंजीकृत कराने तथा रिपोर्ट प्राप्त करने की अनूठी सुविधा
54403130

बिजनौर पुलिस

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-**03** के अन्तर्गत थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा ग्राम छोटी बनी में गांव में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-**03** के अन्तर्गत थाना नांगल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चमरौला में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।